

प्रपत्र-V

इसे वन विभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकृत अधिकारी जो अगर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है।

18	राज्य सरकार की सिफारिश (उपर्युक्त भाग "ख" या भाग "ग" या भाग "घ" में किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गई प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाएँ)	18	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) की अनुशंसा के आधार पर इन्दौर एवं खरगौन जिले में महु-सनावद गेज परिवर्तन हेतु रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु इन्दौर वन मण्डल की 188.97 हेक्टेयर एवं बड़वाह वन मण्डल की 19.922 हेक्टेयर कुल 208.89 हेक्टेयर वन भूमि पश्चिम रेल्वे, इन्दौर को उपयोग पर देने की अनुशंसा की जाती है।
----	---	----	---

दिनांक: 08/6/18
स्थान: भोपाल

(कैप्टन अनिल कुमार खरे)

सचिव

म.प्र. शासन वन विभाग

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या

(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जावेगा)